कृषक आय वृद्धि का माध्यम: भण्डारण एवं प्रसंस्करण

प्रसून वर्मा
सह मुख्य संपादक, हिंदी – आधुनिक कृषि अभियांत्रिकी

कृषि में एक मान्यता सी बन गयी है कि उत्पादन दोगना तो आय दोगुनी. हर कोई उत्पादन बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है. सम्पूर्ण कृषि का लक्ष्य उत्पादन में वृद्धि तक ही सीमित हो कर रह गया. मुख्य अनाज, गेंहूँ और चावल, के उन्नत बीजों के विकास ने भारतीय कृषि में हरित क्रान्ति का सूत्रपात किया, जिसने भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की. खाद्यान्न उत्पादन की निरन्तरता व अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता वृद्धि ने हरित क्रान्ति को सदाबहार क्रान्ति में परिवर्तित कर दिया. खाद्य सुरक्षा बनाये रखने और अन्न के मूल्य मेंस्थिरता बनाये रखने के उद्देश्य से बफर स्टॉक भण्डारण का निर्णय लिया गया. खाद्य सुरक्षा के बाद पौष्टिक सुरक्षा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया. विगत वर्षों में दलहन, फल और सब्जी के उत्पादन की दिशा में भी अभूतपूर्व प्रगति हुयी है. आय में वृद्धि करने के प्रयासों से उत्पादन में वृद्धि तो कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल जाती है किन्तु कृषक की आय में उसी अनुपात में वृद्धि हुयी हो, ऐसा प्रायः नहीं दिखाई देता. विशेष रूप से शीघ्र नष्ट हो जाने वाली फसलों जैसे फल और सब्जियों के बम्पर उत्पादन की स्थिति में मूल्य असामान्य रूप से नीचे जाते हैं.

जिसके कारण खेती–किसानी में बहुत हानि हो जाती है. कृषि में घटती हुयी आय के कारण कृषि की ओर से कृषक भाईयों का मोह भंग होता दिख रहा है. वर्तमान परिपेक्ष्य में आय या लाभ की प्रत्याभूति के बिना ग्रामीण अंचल के निवासियों का कृषि कार्यों में संलिप्त रहना एक दुष्कर प्रश्न बनता जा रहा है. अतः आवश्यकता है कृषि में लाभ सुनिश्चित करने की ताकि किसान बन्धुओं की आय और जीवन शैली संरक्षित हो सके.

खाद्य उत्पादन से लेकर उपभोक्ता की थाली तक पहुँचने की मूल्य श्रृंखला में किसान एक निम्न मूल्य के कच्चा माल उपलब्ध कराने का माध्यम बन कर रह गया है. उत्पादन के पश्चात् भण्डारण और

प्रसंस्करण की सम्पूर्ण प्रणाली एक उद्योग के रूप में विकसित हो चुकी है. उद्योग केवल लाभ पर ही काम करता है. अतः वर्तमान समय में कृषि को भी लाभकारी बनाने की आवश्यकता है. कटाई के उपरान्त भण्डारण क्षमता न होने के कारण किसान को अपना उत्पाद बाजार से कम मूल्य पर बेचने को विवश होना पड़ता है. समर्थन मूल्य निर्धारित होने के बाद भी किसानों को बाजार के लिये आवश्यक गुणवत्ता न होने के कारण फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता. यदि कृषि मूल्य श्रृंखला की न्यूनतम सुविधा ग्रामीण स्तर पर की जाये तो निश्चित रूप से ग्रामीण आय को समृद्ध किया जा सकता है. भण्डारण एक उद्योग के रूप में विकसित हो गया है. उचित रूप से सूखे,साफ और वर्गीकृत अनाज को अधिक समय तक सुरक्षित रूप से भण्डारित किया जा सकता है. किसान अपनी वित्तीय आवश्यकता के अनुसार उसे समय–समय पर निकाल सकते हैं. प्राथमिक और द्वितीयक स्तर का प्रसंस्करण ग्रामीण स्तर पर सहजता से हो सकता है. इससे माल–भाड़े में कमी तथा, लदान और उतराई में होने वाली हानियों को कम किया जा सकता है. इस उदेश्य से विभिन्न फसलों के लिये लघु प्रसंस्करण इकाइयाँ भी विकसित की गयी हैं. गाँव से कोई भी उत्पाद बिना न्यूनतम या प्राथमिक प्रसंस्करण के नहीं निकलना चाहिये. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की ग्राम्य अंचल में स्थापना भी कृषक और ग्रामीण आय बढ़ने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं. इसके माध्यम से ग्रामीण शिक्षित युवकों के लिये रोजगार और आय के अवसरों का सृजन होगा. कृषि आधारित उद्योगों को भी मूल्य श्रृंखला की अपरिहार्य कड़ी, हमारे किसान भाईयों, को सशक्त और समर्थ बनाने के लिये हर संभव प्रयास करना चाहिये.